तरसेमसिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(2005 की आपराधिक अपील संख्या 476)

12 दिसंबर, 2008

[एस. बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे. जे.]

दण्ड संहिता, 1860 धारा 304 बी - के तहत दोषसिद्धि - अभिनिर्धारितः मृतक की मृत्यु से तुरन्त पूर्व दहेज की मांग की गई, के सबूत के अभाव में दोषसिद्धि उचित नहीं है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 113 बी

अभियोजन का यह मामला था कि मृतक पत्नी को अपर्याप्त दहेज लाने एवं बच्चे जन्म नहीं देने के कारण प्रताड़ित किया गया। मृतक का ज्यादातर अपने माता-पिता के साथ रहती रही थी। अपीलार्थी सेना में नियोजित था। घटना की दिनांक से कुछ दिनों पूर्व अपीलार्थी पति ने अपने पिता एवं भाई को यह दर्शाते हुए पत्र लिखे कि वह मृतका को साथ रखने का अनिच्छुक है। पत्रों में यह भी लिखा गया कि उसको छुट्टी मिलने पर गांव की यात्रा के दौरान मृतक को स्वयं आना चाहिए अथवा उसके माता-

पिता को वहां लाना चाहिए। घटना की दिनांक से दस दिन पूर्व मृतका अपने माता-पिता के घर आई एवं यह प्रकट किया कि अपीलार्थी ने अपने माता-पिता को यह कहते हुए लिखा है कि मृतका को घर से बाहर निकाल दिया जाये अन्यथा वह उसे मार देगा लेकिन जब अपीलार्थी को जब छुट्टी पर घर आना था तो अपीलार्थी के पिता मृतका के माता-पिता के घर आये और कहा कि मृतका को उसके साथ जाने दिया जाये। मृतका की माता पी.डब्ल्यू 05 द्वारा उक्त लिखे गये पत्र के संबंध में आशंका व्यक्त की गई। उसने जोर दिया कि वह मृतका को केवल अपीलार्थी के साथ ही भेजेगी, लेकिन मृतका के पिता के इस आश्वासन पर कि ऐसा कोई धमकी भरा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और वह मृतका को अपनी बेटी के समान मानता है, मृतका को उनके साथ जाने की अनुमति दी गई। कुछ दिनों बाद जब मृतका का भाई मृतका के कल्याण के बारे में जांच करने गया और वापस आया तो उसने सूचित किया कि मृतका की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी, उसकी बहनों और चचेरे भाई के विरुद्ध दर्ज की गई। धारा 302 भा.दं.सं. विकल्प में धारा 304 बी भा.दं.सं. में आरोप विरचित किये गये। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 304 बी भा.दं.सं. में दोषमुक्त किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज की एवं अन्य व्यक्तियों की विपक्ष में दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया। इस अपील में अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध निचले न्यायालयों द्वारा

दोषसिद्धि एवं कारावास का निर्णय पारित करते समय त्रुटि कारित की गई है, क्योंकि अभियोजन यह दर्शाने में सफल नहीं हुआ है कि अपराध के कारित किये जाने से तुरन्त पूर्व कोई दहेज की मांग की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

1. यह विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु ऑर्गनों फॉस्फोरस यौगिक के सेवन से हुई है। एंडोसेल जो कि क्लोरोको यौगिक समूह का कीटनाशक है, को बरामद किया गया है। डी.डब्ल्यु 01 जिसने मृतका की मृत्यु से पूर्व जांच की थी, ने पाया कि वह सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित थी। उसके अनुसार वह निमोनिया से पीड़ित थी। कुछ दवाइयां कथित रूप से उक्त बीमारी के लिये विहित की गई थी। उसे कोई दवा दी गई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अभिलेख पर जो सामग्री है वह धारा 304 बी भा.दं.सं. के आरोपों को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। [पैरा 8 और 9], [385-डी-एफ]

2. दहेज मृत्यु की परिभाषा जो धारा 304 बी भा.दं.सं. में दी गई है एवं शब्दावली जो कि उपधारणा संबंधी प्रावधान धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, के अनुसार अन्य तत्वों के अतिरिक्त एक आवश्यक तत्व यह है कि महिला को मृत्यु से तुरन्त पूर्व क्रूरता एवं प्रताड़ना जो कि दहेज की मांग के संबंध में हो, हेतु विवश किया जावे। धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम में दी गई उपधारणा विधि की उपधारणा है।

उक्त विधि में दिये गये आवश्यक तत्वों के साबित हो जाने पर न्यायालय के लिये यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह उपधारणा करे कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु कारित की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि पी.डब्ल्यू 05 द्वारा दर्ज कराई गई है, प्रताड़ना के निम्न दो कारणों पर बल देती है - 1. पूर्व में अपर्याप्त दहेज लाने के कारण एवं (2) उसके बाद बच्चे पैदा नहीं करने के कारण। इस प्रकार अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि दहेज की कोई मांग मृत्यु पूर्व की गई हो। अपराध के लिये कार्यवाही करने का कारण अपीलार्थी के भाग पर अहम की समस्या दिखाई देती है, जैसे कि मृतका अपने ससुराल स्वयं नहीं आ रही थी जबकि अपीलार्थी अपने घर पर छुट्टी आ रहा था। [पारस 12,14 और 15]

[387-एफ-एच; 388-एफ-ई]

3. उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिये क्रूरता और प्रताड़ना दी गई हो जिसके अभाव में धारा 304 बी भा.दं.सं. के आवश्यक तत्वों को साबित नहीं माना जा सकता। जो विधि की परिकल्पना सृजित की गई है वह तभी प्रयुक्त की जा सकती है जब उसकी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति कर दी गई हो। धारा 304 बी भा.दं.सं. में अभियुक्त की दोषसिद्धि किये जाने के लिये साक्ष्य की उपधारणा को प्रयुक्त किये जाने से पूर्व अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करनी होगी। [पैरा 16] [389-

एफ-जी]

हीरा लाल व अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार), दिल्ली (2003) 8 एस.सी.सी. 80; टी. अरुणपेरुनजोथी बनाम एस.एच.ओ. पांडिचेरी (2006) 9 एस.सी.सी. 467 के माध्यम से राज्य।

4. प्रत्यर्थी यह तर्क देने में सही हो सकता है कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिये अपीलार्थी के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जा सकता था क्योंकि मृत्यु ससुराल में हुई थी। यह एक हत्या थी। अपीलार्थी ने अपने धारा 313 सीआरपीसी के कथनों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतका ने आत्महत्या की है अथवा उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो। इस प्रकार के मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को प्रयोग में लाया जा सकता है किन्तु इस मामले में नहीं लाया गया है। अपीलार्थी को केवल धारा 304 बी भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया गया है। [पैरा 19] [392-डी-ई]

हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) 1 एस.सी.सी. 463, संदर्भित।

5. यह सही है कि पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन द्वारा मृतका के शरीर पर दो उपहतियां देखी गई थी लेकिन इस बात पर विचार किया जा

सकता था यदि अपीलार्थी ही एकमात्र अभियुक्त नहीं होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। तीन अन्य व्यक्ति जो कि अपीलार्थी की बहनें एवं चचेरे भाई हैं, के उपर भी अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया है। यदि मृतका को जहर लेने के लिये मजबूर किया गया हो तो उनमें भी उनका कोई हाथ होना चाहिए था। चूंकि वे दोषमुक्त कर दिये गये हैं इसलिये इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि केवल और केवल अपीलार्थी ही उसकी मृत्यु के लिये उत्तरदायी हो। [पैरा 22] [395-ई-एफ]

संदर्भित निर्णयज विधि:

(2003) 8 एस.सी.सी. 80	संदर्भित किया गया है	पैरा 17
(2006) 9 एस.सी.सी. 467	संदर्भित किया गया है	पैरा 18
(2006) 1 एस.सी.सी. 463	संदर्भित किया गया है	पैरा 21

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2005 का 476

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1990 का 369-एस.बी. में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.12.2003 के विरुद्ध

महाबीर सिंह, राकेश दहिया, गगन दीप शर्मा और अपीलार्थी की ओर से एस. श्रीनिवासन।

कुलदीप सिंह और आर.के. प्रतिवादी की ओर से पांडे।

न्यायालय का फैसला एस बी द्वारा सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा, जे. 1. अपीलार्थी पर अपनी पत्नी अमरीको की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। उनकी शादी वर्ष 1983 में हुई थी। अपीलार्थी सेना में नायक के पद पर कार्यरत था। निर्विवाद रूप से, मृतक के माता-पिता समाज के निचले तबके से आते थे। वे बहुत ग़रीब थे। मृतक के पिता जौरा कोठी स्थित नहर विभाग में मेट के पद पर कार्यरत थे। वे अपनी बेटी को पर्याप्त दहेज देने की स्थिति में नहीं थे। शादी के समय, उन्होंने केवल कुछ सामान, जैसे बर्तन, बिस्तर, कपड़े आदि दिए थे। शादी के बाद भी, वे दहेज या अन्य तरीके से मृत अमरीको को कुछ भी नहीं दे पाए थे

कथित तौर पर, इस आधार पर कि मृतक द्वारा अपर्याप्त दहेज लाया गया था, उसे प्रताड़ित किया गया। जब वह एक बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो गई तो उत्पीड़न बढ़ गया। उसे घर से निकाल दिया जाता था, हालाँकि, उसे उसके माता-पिता द्वारा वापस भेज दिया जाता था। जब अपीलार्थी छुट्टी मिलने पर गांव आता था तो उसका वैवाहिक घर जाना

अनिवार्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुए हैं कि क्या अपीलार्थी को स्वयं सभी अवसरों पर उसे वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए उसके माता-पिता के घर जाना चाहिए। ज्यादातर मौकों पर, अपीलार्थी के पिता उनके पास जाते थे और उसे वापस लाते थे।

कहा जाता है कि घटना की तारीख से कुछ दिन पहले, अपीलार्थी ने कुछ पत्रों को प्रेषित किया था, जिनमें से दो को क्रमशः प्रदर्श पीजे और पीएच के रूप में चिह्नित किया गया था; उनमें से एक गुरुमुखी भाषा में था, दूसरा अंग्रेजी स्थानीय भाषा में था।

एक पत्र अपीलार्थी ने अपने पिता को प्रेषित किया था और दूसरा, जो गुरुमुखी लिपि में है, मृतक के बहनोई को प्रेषित किया था। दोनों पत्रों में समान बात यह प्रतीत होती है कि अपीलार्थी मृतका को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। पत्रों में यह कहा गया था कि अपीलार्थी की यात्रा के दौरान उसे स्वयं आना होगा या उसके माता-पिता को उसे वहां लाना होगा।

निर्विवाद रूप से फिर से, मृतका ज्यादातर अपने माता-पिता के साथ रहती थी। घटना की तारीख से दस दिन पहले, मृतका उसके घर आयी और खुलासा किया कि तरसेम सिंह ने उसके माता-पिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहा था अन्यथा वह

उसे मार डालेगा। हालाँकि, चूँकि अपीलार्थी को छुट्टी पर घर आना था, अपीलार्थी के पिता हरनाम सिंह उसके माता-पिता के यहाँ आए। जब अमरिको को अपने साथ जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया, तो पीडब्लू-5-दातो (मृतका की मां) द्वारा उक्त पत्र के संबंध में आशंका व्यक्त की गई और अमरिको को उसके साथ जाने की अनुमति देने में अनिच्छा व्यक्त की गई। उसने जिद की कि वह अमरीको को तरसेम सिंह के साथ ही भेजेगी। हालाँकि, हरनाम सिंह के इस आश्वासन पर कि ऐसा कोई धमकी भरा पत्र नहीं मिला है और वह उसे अपनी बेटी मानता है, उसे उसके साथ जाने की अनुमति दी गई। कुछ दिनों के बाद मृतका के भाई सुखविंदर सिंह को अमरीको का हालचाल लेने और यह पता लगाने के लिए भेजा गया कि तरसेम सिंह छुट्टी पर आया है या नहीं, वह सुबह 11 बजे अपने घर से निकला, लेकिन कुछ देर बाद वापस आकर अपनी मां को बताया कि अमरीको की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। शाम लगभग 4.00 बजे, अपीलार्थी की बहनें परमजीत कौर, मंजीत कौर, अपीलार्थी के चचेरे भाई मोहिंदर सिंह और अपीलार्थी तरसेम सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।

2. विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत और वैकल्पिक रूप से धारा 304 बी के तहत आरोप तय किए गए।

3. सभी चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए परमजीत कौर, मंजीत कौर और मोहिंदर सिंह के पक्ष में बरी करने का फैसला दर्ज किया।

4. श्री महाबीर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि विद्वान सेशन न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि न तो एफआईआर में और न ही पीडब्लू-5 की साक्ष्य में, इस आशय का कोई आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा कोई भी दहेज की मांग की गई थी। उनके द्वारा यह आग्रह किया गया था कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से अभियोजन पक्ष यह दर्शाने में सफल नहीं हुआ है कि अपराध के कारित होने से तुरंत पहले दहेज की मांग की गई थी, इसलिए आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हालाँकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमारे सामने, श्री महाबीर सिंह द्वारा एफआईआर का अनुवादित संस्करण यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के

खिलाफ दहेज की मांग के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था। हालाँकि, श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया कि एफआईआर को पूरी तरह से पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तरसेम सिंह के नाम के बाद, उनके माता-पिता, हरनाम सिंह और पारसीन कौर के नामों का उल्लेख किया गया था और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वे सभी पर्याप्त दहेज न लाने और बच्चा पैदा न करने के कारण अमरीको के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। विद्वान वकील सही प्रतीत होते हैं।

7. इसलिए यह तर्क देना सही नहीं है कि एफआईआर में दहेज न लाने के कारण मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न का कोई कथन नहीं है। शादी वर्ष 1983 में हुई थी। घटना 18.3.1987 को हुई थी। शव मृतका के ससुराल में मिला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखी गईं;

> "1. बाएं गाल पर 1 सेमी X 5 सेमी का खरोंच मौजूद है। विच्छेदन पर घाव त्वचा तक गहरा था।
>
> 2. बाईं कलाई के जोड़ के पीछे 3 सेमी X 2 सेमी का नीला निशान मौजूद है।"
>
> 3. विच्छेदन करने पर नीचे की त्वचा और मांसपेशियां

सामान्य थीं और नीचे की हड्डी टूटी नहीं थी।''

8. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अमरीको की मृत्यु ऑर्गेनो फॉस्फोरस यौगिक के सेवन के कारण हुई। एंडोसेल, जो क्लोरोको यौगिक समूह का एक कीटनाशक है, बरामद किया गया। अब यह विवाद में नहीं है कि अमरीको की मृत्यु फॉस्फोरस यौगिक के सेवन से हुई।

9. इस मुद्दे पर आगे की चर्चा शुरू करने से पहले, हम रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि अपीलार्थी ने डी डब्ल्यू-1 निरंजन दास के रूप में परीक्षित किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मृतका की मृत्यु से पहले उसकी जांच की थी। उन्होंने पाया कि उसके सीने में दर्द है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके अनुसार, वह निमोनिया से पीड़ित थीं। कथित तौर पर उक्त बीमारी के लिए कुछ दवाएं निर्धारित की गई थीं। उसे कोई दवा दी गई थी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। यद्यपि उक्त कथन की सत्यता के बारे में संदेह है, लेकिन यह तथ्य कि अपीलार्थी और उसके परिवार ने मृतका की मृत्यु का कारण छिपाने की कोशिश की, कुछ महत्व रखता है।

10. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी इस प्रकार है:

''304 बी. दहेज मृत्यु.- (1) जहां एक महिला की मृत्यु

किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न, ऐसी मौत को ''दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करेगा उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है''

उक्त अपराध के आवश्यक तत्व हैं: (1) किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो; (2) ऐसी मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई होगी (3) उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था; (4) ऐसी क्रूरता या

उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए, और (5) महिला के साथ ऐसी क्रूरता उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व कारित की गई हो।

धारा 304 बी से जुड़ा स्पष्टीकरण दहेज को वही अर्थ बताता है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में निहित है, जो इस प्रकार है:

> ''2. दहेज' की परिभाषा- इस अधिनियम में, ''दहेज'' का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है या देने के लिए सहमत है-
>
> (ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष से; या
>
> (बी) विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन जिन व्यक्तियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है, उनके मामले में मेहर या महर शामिल नहीं है''

11. संसद ने साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 बी शामिल की है, जो इस प्रकार है:

> ''113 बी. दहेज हत्या के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह है

कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिये या उस संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304 ख में है'

12. भारत के विधि आयोग ने दहेज मृत्यु एवं कानून सुधार पर अपनी 21 वीं रिपोर्ट दिनांक 10.08.1988 में दो प्रावधानों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर यह बात स्पष्ट रूप से कही है।

दहेज से संबंधित मौतों को साबित करने के लिए सबूत हासिल करने में मौजूदा कानून की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, संसद ने अपने विवेक से कुछ आवश्यक सबूतों के आधार पर दहेज मृत्यु की उपधारणा से संबंधित प्रावधान जोड़ने का विचार किया।

इसी पृष्ठभूमि में साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 बी के माध्यम से उपधारणा संबंधित साक्ष्य का प्रावधान जोड़ा गया है।

आईपीसी की धारा 304 बी में ''दहेज मृत्यु की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के उपधारणा संबंधित प्रावधान में दिये गये शब्दों के अनुसार, आवश्यक तत्वों में से अन्य बातों के अलावा एक आवश्यक तत्व यह है कि महिला को ''अपनी मृत्यु से तुरंत पहले ''दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में ''क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा हो।

धारा 113 बी के संदर्भ में दी गयी उपधारणा विधि की उपधारणा है। उसमें उल्लिखित आवश्यक बातों के साबित होने पर, अदालत के लिए यह उपधारणा करना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या कारित की। निम्नलिखित आवश्यक तत्वों के साबित हो जाने पर ही उपधारणा की जानी चाहिए:

(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने किसी महिला की दहेज हत्या की है। (इसका मतलब यह है कि अनुमान भी लगाया जा सकता है जब आरोपी पर आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा हो।) (2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। (3) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न, के लिए या उसके संबंध में था, दहेज की कोई भी मांग। (4) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था।

13. मृतका को तीन कारणों से उत्पीड़न हुआ:

1. अपर्याप्त दहेज,

2. बच्चे को जन्म देने में असमर्थता; और

3. उसके माता-पिता का आग्रह कि हर बार अपीलार्थी को उसे वापस लाने के लिए उसके माता-पिता के घर जाना होगा।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (प्रदर्श-पीएफ/2) उत्पीड़न के दो कारणों पर जोर देती है, अर्थात्, (1) पहले अपर्याप्त दहेज लाने के बहाने, और (2) उसके बाद बच्चा पैदा न करने के लिए।

15. इस प्रकार, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की कोई मांग की गई थी। अपराध के लिए कार्रवाई करने का कारण अपीलार्थी की ओर से अहम की समस्या प्रतीत होती है, अर्थात् मृतका अपने ससुराल में नहीं आ रही थी, जबकि वह छुट्टी पर अपने घर आ रहा था।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी दर्ज किया है कि:

> ‘‘पीडब्ल्यू-1 डॉ. मंजीत सिंह के साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अमरीको की मौत ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड के सेवन के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए सबूत पेश किए हैं कि एंडोसेल को अपीलकर्ता

परमजीत कौर से प्रकटीकरण कथन करने के बाद बरामद किया गया था। केमिकल रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श पीएन, एंडोसेल क्लोरोको यौगिक समूह का एक कीटनाशक है। अत: श्रीमती अमरीको द्वारा इस जहर का सेवन नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि परमजीत कौर या अन्य अपीलकर्ताओं ने श्रीमती अमरीको को जहर जबरन दिया था। साक्ष्य से पता चलता है कि श्रीमती अमरीको ज्यादातर समय अपनी मां के साथ ही रहती थी और जब भी तरसेम सिंह सेना से छुट्टी लेकर अपने घर आता था तो वह अमरीको को उसकी मां के घर से ससुराल ले जाता था। पत्र प्रदर्श पीएच यह दर्शाता है कि तरसेम सिंह इस बात से दुखी था कि उसे अमरीको को उसकी मां के घर से लेने जाना था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह श्रीमती अमरीको को नहीं रखेगा। इस प्रकार अपीलार्थी तरसेम सिंह ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे प्रताड़ित करता था। उसे प्रताड़ित करने का दूसरा कारण यह भी रहा होगा कि वह बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं थी।

पीडब्लू-5 श्रीमती दातो और पीडब्लू-7 सुखविंदर सिंह के कथन दर्शाते हैं कि उन्होंने अपने पुलिस कथनों में

यह बात नहीं बताई है कि तरसेम सिंह के अलावा अन्य अपीलार्थी मृतका को दहेज अथवा बच्चा पैदा नहीं करने के लिये प्रताड़ित करते हों। यह तथ्य कि तरसेम सिंह के पिता हरनाम सिंह, तरसेम सिंह के आने से लगभग 8-10 दिन पहले उसे उसकी माँ के घर से ले गए थे, यह बताता है कि तरसेम सिंह के माता-पिता उसे रखना चाहते थे।"

16. उच्च न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में जिस बात पर ध्यान देने में विफल रहा, वह यह है कि दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था कि अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, जिसके अभाव में धारा 304 बी के आवश्यक तत्वों को साबित नहीं माना जा सकता। जिस कानूनी परिकल्पना का निर्माण किया गया है, उसे पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति पर ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत किसी अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय द्वारा उपधारणा संबंधित साक्ष्य का उपयोग करने से पहले अपराध की सभी आवश्यक सामग्री को साबित किया जाना चाहिए।

17. हीरा लाल एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी सरकार), दिल्ली

"9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और आईपीसी की धारा 304 बी को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि

यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को हटाना होगा ताकि इसे ''सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा होने वाली मृत्यु के दायरे में लाया जा सके। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और आईपीसी की धारा 304 बी के लिए ''तुरंत पहले'' अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है जिसे काम में लेना होगा। अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उस मामले में ही उपधारणा लागू होगी। इस संबंध में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी। ''तुरंत पूर्व'' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। घटना से ठीक पहले की अवधि क्या होगी, इसके लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी भी निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा, और यह दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान लगाने के लिए निकटता परीक्षण के महत्व को लाता है। आईपीसी की मूल धारा 304 बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी

में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''उसकी मृत्यु से ठीक पहले" निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं की गई है और अभिव्यक्ति ''तुरंत पूर्व' परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत (ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''तुरंत पूर्व' का संदर्भ प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि एक अदालत यह मान सकती है कि जिस व्यक्ति के पास ''चोरी के तुरंत बाद सामान है, वह या तो चोर है या उसने यह जानते हुए भी सामान प्राप्त किया है कि चोरी हो गई है, जब तक कि वह उनके कब्जे का हिसाब न दे सक ' । प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ''तुरंत पूर्व' शब्द के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यह इंगित करने के लिए कि अभिव्यक्ति ''तुरंत पूर्व' का सामान्य अर्थ यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और संबंधित मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, पर्याप्त है। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय से बहुत दूर है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि संबंधित महिला का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ रहा है, तो इसका कोई

परिणाम नहीं होगा।''

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि:

''क्रूरता के परिणाम जो एक महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकते हैं, चाहे वह महिला की मानसिक या शारीरिक हो, धारा 498 ए आईपीसी के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक होते हैं। धारा 498 ए के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण में क्रूरता को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की मूल धारा 498 ए और साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा संबंधी धारा 113 बी को आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संबंधित कानूनों में डाला गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए को परस्पर समावेशी नहीं माना जा सकता है। ये प्रावधान दो अलग-अलग अपराधों से संबंधित हैं। यह सच है कि क्रूरता दोनों धाराओं के लिए एक सामान्य अनिवार्यता है और इसे साबित करना होगा। धारा 498 ए का स्पष्टीकरण ''क्रूरता'' का अर्थ देता है। धारा 304 बी में ''क्रूरता'' के अर्थ के बारे में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि

को ध्यान में रखते हुए यह समझना होगा कि ''क्रूरता'' या ''उत्पीड़न'' का अर्थ वही है जो धारा 498 ए के स्पष्टीकरण में निर्धारित है जिसके तहत ''क्रूरता'' अपने आप में एक अपराध है। धारा 304 बी के तहत ''दहेज मृत्यु' दंडनीय है और ऐसी मृत्यु शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए। धारा 498 ए में ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। धारा 304 बी के तहत आरोपित और दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को धारा 498 ए के आरोप के अभाव में दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि ऐसा कोई मामला बनता है। यदि मामला सिद्ध हो जाता है तो दोनों धाराओं के तहत सजा हो सकती है (अकुला रविंदर बनाम एपी राज्य (1991 अनुपूरक (2) एससीसी 99) देखिए। आईपीसी की धारा 498 ए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए क्रूरता की पिछली घटनाओं को अपने आयाम में शामिल करती हैं। धारा 113 ए के लागू होने की अवधि सात वर्ष है दहेज हत्या के बारे में उपधारणा तब लागू होती है जब एक महिला ने शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली हो।

18. टी. अरुन्तपेरुन्जोथी बनाम राज्य एस.एच.ओ. पांडिचेरी [2006 (9) एससीसी 467], के माध्यम से इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि:

> "37. इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था कि अपीलार्थी ने किसी दहेज की मांग की, यह कहना दोहराना होगा कि मृतका की माँ पीडब्लू-7 के अनुसार केवल पीडब्लू-3 ने दहेज की मांग की और वह ही उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था।"

19. श्री कुलदीप सिंह, हालांकि हमारी राय में यह तर्क सही हो सकता है कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिये अपीलार्थी के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जा सकता था क्योंकि मृत्यु ससुराल में हुई थी। यह एक हत्या थी। अपीलाण्ट ने अपने धारा 313 सीआरपीसी के कथनों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतका ने आत्महत्या की है अथवा उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो।

इस प्रकार के मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को प्रयोग में लाया जा सकता है किन्तु इस मामले में नहीं लाया गया है। अपीलाण्ट को केवल धारा 304 बी भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया गया है

20. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, विद्वान वकील चाहते हैं कि हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 386(बी)(iii) को लागू करें, जो इस प्रकार है:

> "386. अपील न्यायालय की शक्तियां - ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात् अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा -
>
> (क) .....
>
> (ख) दोषसिद्धि से अपील में -
>
> (i) .....
>
> (ii) .....
>
> (iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दण्ड के स्वरूप या परिमाण में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे

दण्ड में वृद्धि हो जाए

21. हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2006) 1 एससीसी 463], में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

> "16. उक्त प्रावधान में इस आशय की एक कानूनी कल्पना रची गई है कि किसी घटना में यह स्थापित हो जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले, मृतका को उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में दहेज की किसी भी मांग के साथ क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था; ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा"

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के प्रावधानों पर गौर करते हुए न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि:

> "17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट होगा कि यदि अभियोजन निर्धारित परिस्थितियों को स्थापित करने में सक्षम है तो इसके तहत उत्पन्न होने वाली उपधारणा प्रभावी होगी।

19. किसी विवाहित महिला की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में, जिस प्रकार का यह मामला है पति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 304 बी और धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक या अन्य प्रावधानों के तहत अपराध के कारित होने के संबंध में अंतर के प्रावधान जो पूर्व में वर्णित किए गए हैं इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष सतवीर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में विचार के लिए आया था। [(2001) 8 एससीसी 633], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी पी, 633, पैरा 21-22)

> ‘‘21. इस प्रकार, दहेज से संबंधित तीन अवसर हैं। एक शादी से पहले, दूसरा शादी के समय और तीसरा शादी के बाद ‘‘किसी भी समय’’, तीसरा अवसर अंतहीन अवधि के लिए दिखाई देता है। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द हैं ‘‘विवाह के पक्षकारों के विषय में। इसका मतलब यह है कि उपरोक्त तीन चरणों में से किसी एक पर जीवनसाथी के विवाह के संबंध में कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति देना या देने पर सहमति होनी चाहिए। पति-पत्नी के बीच पैसे के भुगतान या संपत्ति देने के कई अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे के जन्म या अन्य समारोहों के संबंध में कुछ

पारंपरिक भुगतान विभिन्न समाजों में प्रचलित हैं। ऐसे भुगता ''''दहे ' के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए धारा 304 बी में उल्लिखित ''दहेज'' विवाह के संबंध में दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति होनी चाहिए।

22. यदि धारा 304 बी लागू की जाए तो यह पर्याप्त नहीं है कि किसी समय दहेज की मांग को लेकर महिला का उत्पीड़न या क्रूरता की गई हो। लेकिन यह ''उनकी मृत्यु से तुरंत पहले' होना चाहिए था। निस्संदेह, उक्त वाक्यांश एक लोचदार अभिव्यक्ति है और यह उनकी मृत्यु से तुरंत पहले या कुछ दिनों के भीतर या यहां तक कि कुछ सप्ताह पहले की अवधि को संदर्भित कर सकता है। लेकिन उसकी मृत्यु की निकटता उस अभिव्यक्ति द्वारा इंगित धुरी है। ''उसकी मृत्यु से तुरंत पहले' शब्दों का उपयोग करके समय की इतनी सीमा प्रदान करने का विधायी उद्देश्य इस विचार पर जोर देना है कि उसकी मृत्यु, सभी संभावनाओं में, ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न या उस पर की गई क्रूरता के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए।

यदि इस तरह के उत्पीड़न या क्रूरता और उसकी मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक है तो अदालत यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगी कि सभी संभावनाओं में उत्पीड़न या क्रूरता उसकी मृत्यु का तत्काल कारण नहीं रही होगी। इसलिए यह अदालत को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेना है कि क्या उस विशेष मामले में उक्त अंतराल "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले' की अवधारणा को तोड़ने के लिए पर्याप्त था।"

30. धारा 306 और धारा 304 बी की सामग्रियां अलग-अलग और विशिष्ट हैं। किसी भी घटना में, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं लाया गया है कि मृतक की मृत्यु से पहले आरोपी की ओर से कोई कार्य या लोप किया गया है, जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी इसके लिए जिम्मेदार था। हमने यहां पहले देखा है कि उच्च न्यायालय ने पहली बार एक परिकल्पना पर अपने फैसले में कहा कि जब उसके पिता उससे मिलने आए थे, तो उनका अपमान हुआ होगा या उन्हें चोट लगी होगी क्योंकि उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा होगा। दुर्भाग्य से, हमारे संज्ञान में कोई भी सबूत नहीं लाया गया है जो हमें उक्त

निष्कर्ष को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।''

22. यह सच है कि ऑटोप्सी सर्जन ने मृतक के शरीर पर दो चोटें देखी थीं, लेकिन अगर अपीलार्थी एकमात्र आरोपी नहीं होता तो हम मामले के इस पहलू पर विचार कर सकते थे। अन्य लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, अपीलार्थी की बहनें और चचेरे भाई तीन अन्य व्यक्तियों पर भी उक्त अपराध करने का आरोप लगाया गया था। यदि मृतक को जहर खाने के लिए मजबूर किया गया तो इसमें जरूर उनका कोई हाथ होगा। चूंकि उन्हें बरी कर दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि वो अपीलार्थी का और अपीलार्थी ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे।

23. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है, अपीलार्थी जो हिरासत में है उसे स्वतंत्र करने और तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित न हो।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।